

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 399/2024  
अनवान : -

1. लालचन्द पुत्र नन्दराम जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 189/180 की कुल 38.8120 हैक्ट भूमि में से 438/9703 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम हरनेकचन्द पुत्र नन्दराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम लालचन्द पुत्र नन्दराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादी का नाम दुरुस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम हरनेकचन्द पुत्र नन्दराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम लालचन्द पुत्र नन्दराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। वाद वादी डिक्री किया

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 189/180 की कुल 38.8120 हैक्ट भूमि में से 438/9703 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी ने अपना नाम हरनेकचन्द पुत्र नन्दराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र नन्दराम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वाद भूमि में वादी का नाम हरनेकचन्द पुत्र नन्दराम सहवन से दर्ज हुआ है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो की उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में किस आदेश के द्वारा एवं कब दर्ज हुआ है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....24/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

*Rahul.*

(राहुल श्रीवास्तव L.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 399/2024

अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र नन्दराम जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 399 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर